

पत्रांक:- मु0अ0बि0श0-17/2021(पार्ट-II).....3070

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग
नालन्दा, बिहारशरीफ।

प्रेषक,

मनोज कुमार,
मुख्य अभियंता।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल,
नवादा।

/बिहारशरीफ, दिनांक:- 10.09.26

विषय:- फुलवरिया जलाशय योजना अंतर्गत बायाँ शाखा नहर से निःसृत भट्टबीघा वितरणी के चैनैज 1.00 कि०मी० पर पथ प्रमंडल नवादा द्वारा New Box Culvert निर्माण के लिए एन०ओ०सी० निर्गत करने के संबंध में।
प्रसंग:- जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 589 दिनांक 18.10.2024 एवं पत्रांक 485 दिनांक 29.08.2024, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नवादा का पत्रांक 1868 दिनांक 20.08.2026 एवं आपका पत्रांक 687 दिनांक 21.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 25.08.2026 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु विभागीय स्तर से निर्गत निदेश के आलोक में आपके प्रस्ताव की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय स्तर पर गठित तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा जाँच की गई। जाँचोंपरांत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए नवादा जिलान्तर्गत फुलवरिया जलाशय योजना अंतर्गत बायाँ शाखा नहर से निःसृत भट्टबीघा वितरणी के चैनैज 1.00 कि०मी० पर पथ प्रमंडल नवादा द्वारा New Box Culvert निर्माण के लिए एन०ओ०सी० निर्गत करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रथम चरण में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किया जाता है तथा द्वितीय चरण में अंतिम रूप से NOC निर्गत करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाता है:-

1. New Box Culvert निर्माण के दौरान सभी अपेक्षित राष्ट्रीय मानकों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।
2. कार्य कराते समय किसी भी परिस्थिति में नहर में हो रहे जल प्रवाह बाधित नहीं करेंगे।
3. नदी/तटबंधों के क्रॉसिंग बिन्दुओं के समीप Danger Post लगा दिये जायें, जिससे की आम जनों इत्यादि का ध्यान आकृष्ट हो सकें।
4. पीयर तथा Abutment का लोकेशन इस तरह से निर्धारित हो कि जलपथ अवरुद्ध नहीं हों।
5. कार्य का अनुमोदित आलेख्य के अनुरूप संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा स्थल जाँच कराकर कार्य प्रारम्भ करेंगे। नहर प्रणाली के Hydraulic Parameter & Structure, कार्य के क्रियान्वयन एवं उसके उपरान्त अक्षुण्ण रखा जाए।
6. New Box Culvert निर्माण के दौरान नहर अगर क्षतिग्रस्त होता है तो इसका पुनर्स्थापन कार्य संबंधित कार्यपालक अभियंता के आदेशानुसार निर्धारित विशिष्टि के अनुरूप अविलम्ब कराया जायेगा।
7. नहर के चाट भूमि या नहर तल से मिट्टी नहीं काटी जाए।
8. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुए किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री को पूर्ण रूप से हटा लिया जाए।
9. प्रस्तावित New Box Culvert निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना एवं क्षति की पूरी जवाबदेही संबंधित एजेंसी की होगी।
10. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
11. कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।
12. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
13. कार्य के दौरान नहर द्वारा कराये जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं किया जाय, साथ ही निर्माण कार्य के दौरान सिंचाई बाधित न हो, सुनिश्चित किया जायेगा।

14. Clear Waterway किसी भी परिस्थिति में पूर्व से कम नहीं होना चाहिए।
15. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
16. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 589 दिनांक 18.10.2024 एवं पत्रांक 485 दिनांक 29.08.2024 से निर्गत निदेश के आलोक में प्रथम चरण में सैद्धान्तिक सहमति सिर्फ जल संसाधन विभाग की ओर से मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालन्दा, बिहारशरीफ के द्वारा दिया जा रहा है। अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो सैद्धान्तिक सहमति अलग से प्राप्त किया जाएगा।
17. सैद्धान्तिक सहमति के उपरांत अन्य विभाग/संगठन के कार्यपालक अभियंता द्वारा उनके सक्षम तकनीकी प्राधिकार से संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य अनुमोदित कराकर संबंधित अभिलेख सहित अंतिम रूप से NOC निर्गत करने का प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि "प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।" कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न संरचना निर्माण करने वाले अन्य विभाग/संगठन के सक्षम तकनीकी प्राधिकार स्तर से अनुमोदित रूपांकण एवं आलेख्य के Hydarulic Parameters की जाँच नदियों/धारों/नहरों के जलीय आँकड़ों के सापेक्ष कर लिया जायेगा।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक:- मु०अ०बि०श०-17/2021(पार्ट-II).....3070/बिहारशरीफ दिनांक :- 10.09.26
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नवादा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक:- मु०अ०बि०श०-17/2021(पार्ट-II).....3070/बिहारशरीफ दिनांक :- 10.09.26
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी० केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
मुख्य अभियंता।